



RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

[Corporate Identity Number(CIN: L40109RJ2000SGC016485)]

OFFICE OF THE JOINT LEGAL REMEMBRANCER

(Legal Affairs Department)

Regd. Office: VidyutBhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur-302005

Telephone: +91-141-2740248 : Fax: +91-141-.....:

Email: jlr.rvpn@rvpn.co.in :

Website: www.energy.rajasthan.gov.in/rvpn



NO. RVPNL/ JLR./ F.12 (Lok Adalat)/ D.

894

Jaipur, Dated:- 7.9.18

The Superintending Engineer (MIS),
RVPN, Jaipur.

Sub: IV National Lok Adalat to be held on 08.09.2018

While enclosing the copy of letter No. F.8 (1)Urja/2018 Jaipur dt: 31.08.2018, received from Deputy Secretary to Government, Department of Energy, Government of Rajasthan with relevant annexures, I am directed to request you to arrange upload the same on the RVPN website , so that each and every circle office may aware himself with the fact that IV National Lok Adalat is going to be held on 08.09.2018 and concern departmental office/OIC/Nodal Officer may ensure their personal presence before the IV National Lok Adalat and doing further needful as per circular issued by Law Deptt.

Encl: As above


Law Officer

Copy to: The Deputy Secretary to Government, Energy Department, Government of Rajasthan,
Jaipur in reference to his office letter No. F. 8 (1) Urja/2018 Jaipur dt: 31.08.2018.


Law Officer

JLR

REGISTRATION NO. 2174
Date 31/08/18

31 AUG 2018

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

प0 8(1)ऊर्जा/2018

जयपुर दिनांक 31 AUG 2018

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राज0 राज्य विद्युत प्रसारण / उत्पादन निगम/जयपुर डिस्ट्रिक्ट,
प्रबन्ध निदेशक,
राज0 अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर
राज0 ऊर्जा विकास निगम, जयपुर
अजमेर/ जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0
अजमेर/ जोधपुर ।
वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक,
विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर ।

Joint Legal (Remembrancer)
RRVPL, Jaipur-6
R.R. No. 1210
Date 5-9-18

विषय:- दिनांक 8.9.2018 को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विशिष्ट शासन सचिव, विधि (ग्रुप-2) विभाग से प्राप्त परिपत्र क्रमांक 908 दिनांक 14.8.18 जिसमें उनके द्वारा दिनांक 8.9.2018 को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किये जाने से अवगत कराया है ।

प्राप्त परिपत्र के साथ राज0 विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 20486-503 दिनांक 1.8.2018 की प्रति एवं विधि (ग्रुप-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 8.8.18 की प्रति भी संलग्न कर भिजवाई है ।

अतः निदेशानुसार प्राप्त पत्र की प्रति मय संलग्नक के संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है । कृपया विभागीय नोडल अधिकारी को उक्त अदालतों में उपस्थिति सुनिश्चित करने बाबत निर्देश प्रदान करने का कष्ट करावें ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(चन्द्र प्रकाश)

शासन उप सचिव

174
11/8

4486
218118

राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.8(1) विधि-2/विरसं.(115)/2017/908

दिनांक : 14/01/18

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,

विषय:- दिनांक 08.09.2018 को आयोजित होने वाली चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत।
सन्दर्भ:- प्राधिकरण का पत्र क्रमांक F-4 (158)/रालसा/डीएसएडीआर/एनएलए-IV/
2018/20486-20503 दिनांक 01.08.2018

महोदय,

9839
23/8/2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य में न्यायालयों में लम्बित मामलों एवं प्री-लिटिगेशन के मामलों के लिए दिनांक 08 सितम्बर, 2018 को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अपने-अपने विभागों के न्यायालय में लम्बित मामलों के संबंध में व ऐसे मामलों के संबंध में जिनका निस्तारण प्री-लिटिगेशन के माध्यम से हो सकता है, के संबंध में प्रभावी कार्य योजना बनाये। कार्य योजना के तहत राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित करें, उनके संबंध में संबंधित पक्षकारों के साथ लोक अदालत से पूर्व बैठक कर राजीनामे के बिन्दु तय करे तथा चिन्हित प्रकरणों की संख्या के अनुरूप राज्य के समस्त न्यायालयों में ऐसे सक्षम/अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जो प्रकरणों में राजीनामा करने में सक्षम हो। राजीनामा योग्य चिन्हित प्रकरणों की सूची यथाशीघ्र न्यायालयों में प्रस्तुत कर न्यायालय से अनुरोध करे कि चिन्हित प्रकरणों में पक्षकारों को लोक अदालत के लिए नोटिस जारी करें। नियुक्त अधिकारी को पाबंद करें कि वे आवश्यक रूप से लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रह कर लोक अदालत की कार्यवाही में सहयोग करें ताकि राजीनामा योग्य/लघु प्रकरणों के मुकदमों का निस्तारण त्वरित गति से लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके। जिससे राज्य सरकार के विरुद्ध लम्बित विवाद सदैव के लिए समाप्त हों एवं समय, श्रम एवं धन की बचत होने के साथ-साथ न्यायालयों में लम्बित विवादों का निस्तारण हो सके।

यह भी अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करें। साथ ही चिन्हित प्रकरणों की सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को भी प्रेषित कराने का श्रम करें।

- संलग्न :1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का पत्र दिनांक 01.08.2018 की प्रति।
2. मुख्य सचिव द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.08.2018।

भवदीय

25
(संजय कुमार)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(वि.र.सं)

SE
BO
MG
21/8/18

5/R
G 4
21/8/18

श.र.सं
23/8/18



वर्ष - 2018
चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर.

(Phone: 0141-2227481, 2385877, 2227602 FAX)

(Toll Free Help Line: 18100, E-mail: rlsaip@gmail.com, ri-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांक F4(158)/सलसा/डीएसएडीआर/एनएलए-IV/2018/20486-20502 दिनांक: 1/8/18
प्रेषिति-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. विशिष्ट शासन सचिव, (गृह) एवं निदेशक, अभियोजन, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वि.र.सं.), एवं नोडल ऑफिसर, राष्ट्रीय लोक अदालत, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
13. अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
15. अध्यक्ष डिस्कॉम, जयपुर।
16. जनरल मैनेजर, बी.एस.एन.एल।
17. क्षेत्रीय प्रबंधक, समस्त राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक, राजस्थान।
18. क्षेत्रीय प्रबंधक, समस्त राष्ट्रीयकृत एवं निजी बीमा कम्पनी, राजस्थान।

विषय- दिनांक 08.09.2018 को आयोजित होने वाली चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत प्रसंग- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का पत्रांक F.No.L/34/2017/NALSA दिनांक 08.01.18 महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रासंगिक पत्र द्वारा दिनांक 08.09.2018 को प्रदेश के सभी न्यायालयों (राजस्व न्यायालयों को छोड़कर) में लम्बित एवं प्री लिटिगेशन मामलों के लिए चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। प्री-लिटिगेशन में धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल (अशमनीय के अलावा) एवं अन्य (दाण्डिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद) और लम्बित प्रकरणों में शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक

Help The Needy - Timely Help May Create History



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2385877, 2227602 FAX)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rslsaip@gmail.com, ri-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in)

रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, श्रम-विवाद, बिजली व पानी के बिल (अशमनीय के अलावा), वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (केवल जिला एवं उच्च न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि विषयों पर आयोजित की जावेगी।


माननीय न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशानुसार अनुरोध है कि आप सभी विभागीय अधिकारियों को यह निर्देशित करें कि वे -

1. लोक अदालत में निस्तारित होने योग्य सभी उपयुक्त प्रकरणों को चिन्हित करवाकर प्रकरणों की सूची संबंधित न्यायालय में, जहाँ विवाद लम्बित है, प्रस्तुत करें एवं न्यायालय से अनुरोध करें कि उपयुक्त प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस जारी कर इन्हें लोक अदालत को रैफर करें।
2. एक सुनियोजित कार्य योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ लोक अदालत की कार्यवाही में भाग लें तथा अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करावें।

निर्देशानुसार यह भी अनुरोध है कि इस पत्र के सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियों के प्रतिवेदन एवं जारी किये गये आदेशों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अग्रिम निर्देशार्थ रखा जा सके।

सादर,

भवदीय


(एस.के.जैन)


सदस्य सचिव

(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

क्रमांक F4(158)/रालसा/डीएसएडीआर/एनएलए-IV/2018/20504-20541 दिनांक: 1/8/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

1. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
2. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर।
3. उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।


(दीपेन्द्र माथुर)

उप सचिव
(एक्शन प्लान एण्ड ए.डी.आर.)

Help The Needy - Timely Help May Create History

राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.8(1) विधि-2/विरसं (115)/2017/

जयपुर दिनांक : 8/8/18

:: परिपत्र ::

न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों की संख्या को नियंत्रित व कम करने के क्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है जिसकी सफलता में संबंधित सरकारी विभागों का सहयोग एवं योगदान आवश्यक है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08.09.2018 को आयोजित की जायेगी।


राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन में धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल (अशमनीय के अलावा) एवं अन्य (दाण्डिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद) और लम्बित प्रकरणों में शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, श्रम-विवाद, बिजली व पानी के बिल (अशमनीय के अलावा), वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (केवल जिला एवं उच्च न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि विषयों पर आयोजित की जावेगी।

सभी संबंधित विभाग लोक अदालत आयोजित करने हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र दिनांक 01.08.2018 के दिशा निर्देशों की पालना करेंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारी उपर्युक्त निर्धारित समय के अनुसार अपने-अपने विभागों से संबंधित प्रकरणों की कार्य योजना तैयार करें और अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत से कराने का हर संभव प्रयास करेंगे।


अतः लोक अदालत/मीडियेशन कार्यवाही में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय व सहयोग सुनिश्चित करने, उनकी कठिनाईयों का निवारण कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव एवं प्रगति रिपोर्ट यथा समय प्रेषित करने के लिए विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वि.र.सं.) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

संलग्न : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
द्वारा जारी पत्र क्रमांक 20486-20503
दिनांक 01.08.2018 की प्रति।


(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।


(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव